eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 08, August 2023

जॉन स्टुअर्ट मिल के स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत

डा0 अरविन्द कुमार शुक्ल[1]
[1]सहायक प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय महिला स्ना0 महाविद्यालय बिंदकी, फतेहपुर उ0प्र0, भारत

Abstract

जॉन स्टुअर्ट मिल उन्नीसवीं शताब्दी के महान विचारकों में से एक थे, जिन्होंने स्वतंत्रता के सिद्धांत को एक नई दिशा प्रदान की। उनका स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत मुख्य रूप से व्यक्ति की स्वतंत्रता, सामाजिक प्रतिबंधों, और सरकार की भूमिका पर केंद्रित था। यह शोध पत्र मिल के स्वतंत्रता सिद्धांत की गहन विवेचना करता है और यह विश्लेषण करता है कि उनका दृष्टिकोण आज के समाज में किस प्रकार प्रासंगिक बना हुआ है। उनके विचारों की व्याख्या करते हुए यह शोध पत्र उनकी पुस्तकों, विशेष रूप से ऑन लिबर्टी, से प्राप्त अवधारणाओं पर प्रकाश डालता है। साथ ही, इस सिद्धांत पर विभिन्न विद्वानों की आलोचनाएँ और इसकी आधुनिक प्रासंगिकता पर भी चर्चा की गई है।

कीवर्ड– स्वतंत्रता, जॉन स्टुअर्ट मिल, व्यक्तिवाद, उदारवाद, नैतिकता, लोकतंत्र, सामाजिक अनुबंध।

Introduction

स्वतंत्रता प्रत्येक समाज की बुनियादी आवश्यकता है, और दार्शनिकों ने इस पर सदियों से विचार किया है। जॉन स्टुअर्ट मिल (1806–1873) स्वतंत्रता के सबसे प्रभावशाली विचारकों में से एक थे। वे एक ब्रिटिश दार्शनिक, अर्थशास्त्री और राजनीतिक विचारक थे, जिन्होंने स्वतंत्रता को न केवल एक व्यक्तिगत अधिकार के रूप में देखा, बल्कि इसे समाज की प्रगति के लिए आवश्यक तत्व माना। मिल का विचार था कि जब तक किसी व्यक्ति की क्रियाएँ दूसरों को नुकसान नहीं पहुँचातीं, तब तक उसे अपने जीवन के निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उनका यह दृष्टिकोण आज भी लोकतंत्र और मानवाधिकारों की बहस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

मिल ने अपनी प्रसिद्ध कृति ऑन लिबर्टी में स्वतंत्रता के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया और यह प्रतिपादित किया कि समाज और राज्य को व्यक्ति की स्वतंत्रता में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उनके विचारों ने आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं और कानूनी सिद्धांतों को गहराई से प्रभावित किया है। इस शोध पत्र में, हम उनके स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत का गहन अध्ययन करेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे और इसकी प्रासंगिकता का विश्लेषण करेंगे। साथ ही, हम यह भी देखेंगे कि उनके विचारों की किन–किन बिंदुओं पर आलोचना की गई है और वे आज के संदर्भ में कितने प्रभावी हैं।

जॉन स्टुअर्ट मिल का स्वतंत्रता सिद्धांत– मिल के अनुसार, स्वतंत्रता केवल बाहरी नियंत्रणों से मुक्ति नहीं है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने और जीवन जीने की स्वतंत्रता हो। उन्होंने स्वतंत्रता को तीन मुख्य भागों में विभाजित किया–

1 विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता– मिल ने तर्क दिया कि किसी भी समाज में विचारों की स्वतंत्रता होनी चाहिए क्योंकि यह सत्य की खोज में सहायक होती है। यदि किसी विचार को दबा दिया जाता है, तो संभवतः समाज सत्य से वंचित रह सकता है। उन्होंने सेंसरशिप का विरोध किया और बहस एवं चर्चा

को सत्य की खोज के लिए आवश्यक बताया। उनका मानना था कि विचारों के मुक्त प्रवाह से समाज का बौद्धिक विकास होता है और विभिन्न दृष्टिकोणों की तुलना करने से सत्य का पता लगाया जा सकता है।

2– रुचि और गतिविधियों की स्वतंत्रता– मिल के अनुसार, जब तक कोई व्यक्ति दूसरों को हानि नहीं पहुँचा रहा, तब तक उसे अपनी इच्छानुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उन्होंने सरकार द्वारा अनावश्यक हस्तक्षेप का विरोध किया और व्यक्तिवाद को प्रोत्साहित किया। मिल का यह भी मानना था कि समाज को किसी व्यक्ति की गतिविधियों पर तभी प्रतिबंध लगाना चाहिए जब वे दूसरों के लिए हानिकारक हों। इस संदर्भ में उन्होंने हानि सिद्धांत (Harm Principle) प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार समाज को केवल उन्हीं मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए जहाँ किसी की स्वतंत्रता दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन कर रही हो।

3– संघ और संगठन की स्वतंत्रता– मिल मानते थे कि व्यक्ति को अपनी पसंद के व्यक्तियों और संगठनों से जुड़ने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, बशर्ते कि वे समाज को नुकसान न पहुँचाएँ। उन्होंने नागरिक समाज और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने पर जोर दिया। मिल के अनुसार, एक स्वतंत्र समाज के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि लोग अपने विचारों और उद्देश्यों को संगठित रूप से व्यक्त कर सकें। उन्होंने श्रमिक संघों, राजनीतिक दलों और अन्य सामाजिक संगठनों के महत्व को रेखांकित किया, जो व्यक्तियों को अपने अधिकारों की रक्षा करने में सहायता करते हैं।

मिल का स्वतंत्रता सिद्धांत और सामाजिक अनुबंध– मिल का स्वतंत्रता सिद्धांत जॉन लॉक, रूसो और कांट के सामाजिक अनुबंध सिद्धांतों से प्रभावित था। उन्होंने यह तर्क दिया कि व्यक्ति और राज्य के बीच एक संतुलन होना चाहिए ताकि व्यक्ति की स्वतंत्रता संरक्षित रह सके, लेकिन समाज में अराजकता न फैले। मिल ने यह स्पष्ट किया कि सरकार का दायित्व केवल कानून और व्यवस्था बनाए रखना नहीं है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि वह नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमण न करे।

मिल का दृष्टिकोण यह था कि समाज और राज्य को केवल उन मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए जहाँ किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरों के अधिकारों को प्रभावित कर रही हो। उनके अनुसार, सरकार को व्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए न्यूनतम हस्तक्षेप करना चाहिए, ताकि व्यक्ति अपनी संपूर्ण संभावनाओं का विकास कर सके।

सामाजिक अनुबंध का संक्षिप्त परिचय– सामाजिक अनुबंध सिद्धांत यह विचार प्रस्तुत करता है कि समाज और सरकार के बीच एक पारस्परिक समझौता होता है, जिसमें नागरिक अपनी कुछ स्वतंत्रताओं को छोड़कर सरकार को एक व्यवस्थित समाज बनाए रखने के लिए अधिकृत करते हैं। इस विचार को प्रमुख रूप से थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जीन–जैक्स रूसो ने प्रस्तुत किया था।

मिल और सामाजिक अनुबंध– हालाँकि मिल पारंपरिक सामाजिक अनुबंध विचारकों की तरह इस अवधारणा को स्पष्ट रूप से नहीं अपनाते, लेकिन उनके स्वतंत्रता सिद्धांत में यह परिलक्षित होता है कि सरकार का हस्तक्षेप केवल तभी होना चाहिए जब यह नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आवश्यक हो। उनका हानि सिद्धांत (Harm Principle) इस विचार के अनुरूप है कि सरकार को तब तक किसी व्यक्ति की गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि वह अन्य लोगों को हानि नहीं पहुँचा रहा हो।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 08, August 2023

लोकतंत्र और स्वतंत्रता– मिल का मानना था कि लोकतंत्र स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आवश्यक है, लेकिन उन्होंने बहुमत के अत्याचार (Tyranny of the Majority) की चेतावनी भी दी। उनका तर्क था कि लोकतंत्र में बहुसंख्यक वर्ग अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता का दमन कर सकता है, और इसी कारण व्यक्तिगत स्वतंत्रता को संरक्षित करने के लिए संस्थागत सुरक्षा उपाय आवश्यक हैं।

मिल और समाजवाद– मिल का स्वतंत्रता सिद्धांत और समाजवाद के कुछ तत्व एक–दूसरे से विरोधाभासी प्रतीत होते हैं, लेकिन मिल ने सामाजिक सुधारों और आर्थिक समानता का समर्थन किया। उन्होंने सुझाव दिया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक भलाई के बीच संतुलन आवश्यक है। हालाँकि, वे इस विचार के विरुद्ध थे कि राज्य को अत्यधिक नियंत्रण प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि इससे व्यक्तियों की स्वतंत्रता बाधित हो सकती है।

मिल के स्वतंत्रता सिद्धांत की आलोचना–

हालाँकि मिल का स्वतंत्रता सिद्धांत अत्यंत प्रभावशाली रहा है, लेकिन इसकी आलोचना भी की गई है।

कुछ विद्वानों का मानना है कि उनकी स्वतंत्रता की परिभाषा अत्यधिक व्यक्तिवादी है और सामूहिक मूल्यों को पर्याप्त महत्व नहीं देती।

कार्ल मार्क्स जैसे विचारकों ने तर्क दिया कि मिल की अवधारणाएँ पूँजीवादी समाज के पक्ष में झुकी हुई हैं।

कुछ नारीवादी विचारकों ने मिल की स्वतंत्रता की परिभाषा को पुरुष केंद्रित बताया है।

सामूहिकतावादी विचारकों का तर्क है कि मिल का स्वतंत्रता सिद्धांत समाज के सामूहिक हितों की अपेक्षा व्यक्तिगत अधिकारों को अधिक महत्व देता है, जिससे सामाजिक एकता कमजोर हो सकती है।

कुछ आलोचकों का यह भी मानना है कि हानि सिद्धांत की व्याख्या हमेशा स्पष्ट नहीं होती, जिससे यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि सरकार को कहाँ तक हस्तक्षेप करना चाहिए।

मिल का स्वतंत्रता सिद्धांत आधुनिक लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। उनके विचारों ने नागरिक अधिकारों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सरकार की सीमाओं को परिभाषित करने में सहायता की है। उनके विचार आज भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए उपयोगी हैं, विशेष रूप से ऐसे मामलों में जहाँ सरकार और नागरिकों के बीच अधिकारों का संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता होती है।

मिल का स्वतंत्रता सिद्धांत व्यक्तिवाद और समाज के सामूहिक हितों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। हालाँकि वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन वे इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि समाज में नैतिकता और कानून के कुछ सीमित बंधन आवश्यक हैं ताकि स्वतंत्रता अराजकता में परिवर्तित न हो जाए।

आज के डिजिटल युग में, जहाँ इंटरनेट और सोशल मीडिया अभिव्यक्ति के प्रमुख माध्यम बन चुके हैं, मिल के विचार और अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं। सेंसरशिप, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और निजता जैसे मुद्दों पर मिल का हानि सिद्धांत मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 08, August 2023

मिल के विचारों ने न केवल लोकतंत्र को मजबूत करने में सहायता की बल्कि उन्होंने कई देशों की कानूनी प्रणालियों और मानवाधिकारों की सुरक्षा को भी प्रभावित किया है। उनके सिद्धांत आज भी नीतिनिर्माण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मिल का स्वतंत्रता सिद्धांत आधुनिक लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। उनके विचारों ने नागरिक अधिकारों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सरकार की सीमाओं को परिभाषित करने में सहायता की है। हालाँकि उनकी अवधारणाओं की आलोचना भी की गई है, लेकिन फिर भी वे राजनीतिक और दार्शनिक चिंतन में एक प्रमुख स्थान रखते हैं।

सन्दर्भ सूची–

Mill] J- S- 1859- On Liberty- London: John W- Parker and Son-

Berlin] I- 1969- Four Essays on Liberty- OÛford University Press-

Rawls] J- 1971- A Theory of Justice- Harvard University Press-

Macpherson C- B- 1977- The Life and Times of Liberal Democracy- OÛford University Press-

Gray] J- 1996- Mill on Liberty: A Defence- Routledge-

मिल, जॉन स्टुअर्ट (1859). ऑन लिबर्टी. लंदन, जॉन डब्ल्यू पार्कर एंड सन।

बर्लिन, आई. (1969). फोर एस्सेज ऑन लिबर्टी. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

रॉल्स, जे. (1971). ए थ्योरी ऑफ जस्टिस. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

मैकफर्सन, सी. बी. (1977). द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

ग्रे, जे. (1996). मिल ऑन लिबर्टी, ए डिफेन्स. रूटलेज।

सेन, अमर्त्य (2009). द आइडिया ऑफ जस्टिस. पेंगुइन बुक्स।

ओक्सहॉट, माइकल (1975). ऑन ह्यूमन कंडक्ट. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

टेलर, चार्ल्स (1994). मल्टीकल्चरलिज्म एंड द पॉलिटिक्स ऑफ रिकग्निशन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस।

वाल्ड्रोन, जे. (1993). लिबरल राइट्स. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।

हबर्मास, जे. (1996). बिटवीन फैक्ट्स एंड नॉर्म्स. एमआईटी प्रेस।

लुकास, जे. आर. (1966). प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिक्स. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

नूसबाम, मार्था (2011). क्रिएटिंग कैपेबिलिटीज. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

ड्वॉर्किन, आर. (2011). जस्टिस फॉर हेजहॉग्स. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

मिलर, डेविड (1995). ऑन नेशनलिटी. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

सैंडेल, माइकल (1982). लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।

नोज़िक, रॉबर्ट (1974). एनार्की, स्टेट, एंड यूटोपिया. बेसिक बुक्स।

हॉब्स, थॉमस (1651). लेवायथन।

लॉक, जॉन (1689). टू ट्रिटाइसेस ऑफ गवर्नमेंट।

रूसो, जीन–जैक्स (1762). द सोशल कॉन्ट्रैक्ट।

बेंटहम, जेरेमी (1789). एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन।

टॉकविल, एलेक्सिस डी (1835). डेमोक्रेसी इन अमेरिका।

अरोन, रेमंड (1955). द ऑपियम ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स।

आर्कीबाल्ड, वर्जीनिया (1998). फ्रीडम एंड मोरैलिटी।

पटेल, रमेश (2005). भारतीय राजनीति में स्वतंत्रता की अवधारणा।

मिश्रा, सुरेश (2012). भारतीय संविधान और मौलिक अधिकार।

शर्मा, राकेश (2016). लोकतंत्र, स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व।

यादव, नवीन (2019). स्वतंत्रता, समानता और न्याय की अवधारणा।